झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संख्या – 10/यो0आ0–10/2016–17 /रा0, राँची, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्त्ता कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, समाहर्त्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), निबंधन कार्यालय, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय एवं विभाग के कार्यालय में Outsourcing के माध्यम से सफाई, सुरक्षा, अधिष्ठापित मशीन–उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर, वाहन, वाहन के चालक, अमीन, राजस्व कर्मचारी, लिपिक आदि की सेवाप्राप्त करने पर व्यय किये जाने के निमित्त कुल ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्त्ता कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, समाहर्त्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), निबंधन कार्यालय, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय एवं विभाग के कार्यालय में Outsourcing के माध्यम से सफाई, सुरक्षा अधिष्ठापित मशीन–उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर, वाहन, वाहन के चालक, अमीन, राजस्व कर्मचारी, लिपिक आदि की सेवाप्राप्त करने पर व्यय किये जाने के निमित्त कुल ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से Outsourcing के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2–2 होमगार्ड/सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मी को 3 पालियों में रखा जाएगा। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के समय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हों। सभी अपर समाहर्त्ता संबंधित उपायुक्त/सैनिक कल्याण निदेशालय से इस निमित्त अनुरोध कर होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करेंगे। होमगार्ड सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवाप्राप्त करने पर होने वाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।

3. उपर्युक्त सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की सेवा Outsourcing के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाए। इस निमित्त विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित कर एजेन्सी का चयन किया जाएगा एवं चयनित एजेन्सी को जिला आवंटित किया जाएगा। एजेन्सी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान जिलों में उपायुक्त द्वारा एवं मुख्यालय में सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

4. जिन अंचलों में अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, चालकों की कमी है वहाँ न्यूनतम आवश्यकतानुसार इसके लिए निर्धारित अर्हता वाले लोगों की सेवा Outsourcing के माध्यम से निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाय। इस निमित्त विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित कर

कृ0पृ0उ0

sec10/2016-17/ swikrityadesh(lalit)

mail sent 13.6.16

एजेन्सी का चयन किया जाएगा एवं चयनित एजेन्सी को जिला आवंटित किया जाएगा। एजेन्सी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान जिलों में उपायुक्त द्वारा एवं मुख्यालय में सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

5. इस योजनान्तर्गत परिसदन भवनों के रख रखाव पर होनेवाले व्यय का वहन किया जाएगा।

6. जिन कार्यालयों में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से एजेन्सी से वाहन प्राप्त करेंगे।

7. योजना व्यय का विकलन राज्य योजना अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से होगा।

8. जिन कार्यालयों के लिए गैर योजना मद से उपरोक्त योजना हेतु राशि स्वीकृत है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संधारित किया जाएगा।

9. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

10. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त एवं मुख्यालय के लिए मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

11. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चत रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 1500/rr राँची, दिनांक– 13-04-16

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अंचलाधिकारी/सभी संबंधित/जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
13/4/16

sec10/2016-17/ swikrityadesh(lalit)

सं०सं०–10/यो.आ.–10/2016–17
1509/रा
13-04-16

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्त्ता कार्यालय, समाहर्त्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), निबंधन कार्यालय, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय एवं विभाग के कार्यालय में Outsourcing के माध्यम से सफाई, सुरक्षा अधिष्ठापित मशीन–उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर, वाहन, वाहन के चालक, अमीन, राजस्व कर्मचारी, लिपिक आदि की सेवाप्राप्त करने पर व्यय किये जाने के निमित्त शीर्षवार स्वीकृत राशि की विवरणी:–

राशि रूपये में

क्र.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	अभियुक्ति
1	राज्य योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–19– वाहय स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु	3,70,00,000/–	
2.	राज्य योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–19– वाहय स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु	1,30,00,000/–	
	कुल योग	5,00,00,000/–	

(पाँच करोड़ रूपये मात्र)

(हस्ताक्षर) 13/4/16
(कमल किशोर जैन)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

sec10/2016-17/ swikrityadesh(lalit)

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 206

पत्रांक संख्या :- 1500 **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 13/04/2016

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

KAMAL KISHORE SOAN
SECRETARY
REVENUE, REGISTRATION & LAND REFORMS DEPTT. JHARKHAND, R

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : क्षेत्रीय कार्यालयो मे आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटर वाहन हेतु व्यय के संबंध मे

।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 40 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभ
मुख्यशीर्ष - 2029-भू-राजस्व
उपमुख्य शीर्ष - 00-भू-राजस्व

लघुशीर्ष	राशि
102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	☐ 3,70,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐ 1,30,00,000.00
कुलराशि :-	**☐ 5,00,00,000.00**

172.16.20.1

Run Date: 20/04/2016

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
40P202900796190103	19 - बाह्यस्रोत से अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी/ कम्प्यूटर ऑपरेटर/ चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु	03 - मजदूरी	
40P202900102190103	19 - बाह्यस्रोत से अधीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु	03 - मजदूरी	

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से